




संशोधित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र


क्रमांक: 13 / मुम्बई / 1959-60

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती जानकी देवी मण्डेलिया  
होम साइन्स एजुकेशनल सोसायटी, पिलानी का रजिस्ट्रेशन राजस्थान संस्था  
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत दिनांक  
18 मई सन् 1959 को किया गया था।

अब इस संस्थान का नाम परिवर्तित कर श्रीमती जानकी देवी  
मण्डेलिया एजुकेशनल सोसायटी, पिलानी  
जिला मुम्बई कर दिया गया है। यह परिवर्तन राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,  
1958 की धारा 12 के प्रावधानान्तर्गत किया गया है।

यह प्रमाण पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से दिनांक 02 जुलाई सन्  
2019 को मुम्बई में जारी किया गया।

  
Principal  
Smt. Janki devi Mandella  
Co- Ed. English Medium School  
PILANI (Raj.) 333031

  
रजिस्ट्रार (संस्था)  
मुम्बई